



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/184

दिनांक :- 19/1/16

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.2016 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.2016 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/185

दिनांक :- 19/1/16

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।


प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रम क / अकादमिक / सम्मिलन / 2016 / 111

दिनांक :- 14/11/16

कार्यपरिषद् की बैठक का कार्यविवरण

स्था :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 09 जनवरी 2016
समय :- मध्याह्न : 12:00 बजे

--: उपस्थिति :-

01. प्रो. एस. एस. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. तपन चौरे	सदस्य
03. डॉ. अचला शर्मा	सदस्य
04. डॉ. एम. एस. परिहार	सदस्य
05. डॉ. एच. पी. सिंह	सदस्य
06. डॉ. जी. के. शर्मा	सदस्य
07. डॉ. नागेश शिन्दे	सदस्य
08. डॉ. राजेश शर्मा	सदस्य
09. श्री हरनाम सिंह यादव	सदस्य
10. श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
11. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
12. सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
13. डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
14. डॉ. उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग)	सदस्य
15. श्रीमती आरती शर्मा (कोष एवं लेखा, उज्जैन)	सदस्य
16. डॉ. डी. के. बग्गा	प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव

कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. अनुसुईया परस्ते एवं डॉ. प्रतिभा कोठारी बैठक में अनुपस्थित रहीं।

कार्यपरिषद् की बैठक प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपतिजी एवं प्रभारी कुलसचिवजी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके अर्थात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01.09.2015, आपात बैठक 25.10.2015 एवं आपात 26.11.2015 के कार्यविवरणों की पुष्टि पर विचार।

टिप्पणी :- कार्यविवरणों की छाया प्रतियाँ संलग्न।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01.09.2015 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार "कार्यपरिषद् सदस्य श्री हरनाम सिंह यादव द्वारा वर्ष 2007 में नियुक्त शिक्षकों को स्थाईकरण करने एवं विश्वविद्यालयीन कार्य-परिषद् सदस्यों द्वारा दिये गये पत्र विषयक स्थायीकरण के प्रकरण" में कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया एवं अन्य विषयों की पुष्टि की गयी। इसके साथ ही आपात बैठक दिनांक 25.10.2015, 26.11.2015 के कार्य विवरणों की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन- प्रशासन/अकादमिक/लेखा विभाग)

विषय क्र. 02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.09.2015, 18.09.2015, 09.10.2015, 29.10.2015, 20.11.2015, एवं 18.12.2015 के कार्य विवरणों पर विचार।

टिप्पणी :- कार्यविवरणों की प्रति संलग्न।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की उपरोक्तानुसार तिथियों में आयोजित बैठकों के कार्य-विवरणों को अनुमोदित किया गया एवं इस संबंध में स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.12.2015 के बिन्दु क्रमांक 04 के अन्तर्गत पीएच.डी. शोध छात्रों से शुल्क रुपये 12,000/- के स्थान पर रुपये 10,000/- किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन- अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 03. शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

टिप्पणी :- सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यर्थियों की सूची पटल पर प्रस्तुत की गई एवं सूचना ग्राह्य कर अनुमोदन किया गया।

(क्रियान्वयन- गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 04. में इण्डिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. के साथ सम्पादित पूर्व अनुबंध दिनांक 20.06.2013 की अवधि दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ाने विषयक।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि में इण्डिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. के साथ सम्पादित पूर्व अनुबंध दिनांक 20.06.2013 की कंडिका 11 यह कि "इस अनुबंध पत्र के अधीन पक्ष क्रमांक 2 निर्धारित छूट दर पर अनुबंध दिनांक से सत्र 2013-15 की अवधि में अर्थात् 30 जून 2015 तक पुस्तकें, संदर्भग्रंथादि प्रदाय करने क लिये बाध्य होगा तथा दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध अवधि को आगामी सत्रों के लिये आगामी बढ़ाया जा सकेगा।"

चूंकि अनुबंध की शर्त 11 में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध अवधि को आगामी सत्रों के लिये बढ़ाया जा सकता है अतः में इण्डिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. के साथ एक वर्ष अर्थात् 30.6.2015 से 30.6.2016 तक के लिये किये गये अनुबंध में वृद्धि मान्य की जाती है।

(क्रियान्वयन- विकास/पुस्तकालय/लेखा विभाग)

विषय क्र. 05. प्रवेश विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) सत्र 2015-16 एवं प्रवेश विज्ञापन पोस्टर 2015-16 का मुद्रण तथा प्रवेश सूचना विज्ञापन का प्रकाशन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि प्रवेश विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) सत्र 2015-16 एवं प्रवेश विज्ञापन पोस्टर 2015-16 का मुद्रण तथा प्रवेश सूचना विज्ञापन के प्रकाशन की सूचना ग्राह्य की गयी एवं आवश्यक भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(क्रियान्वयन- प्रॉक्टर/लेखा विभाग)

विषय क्र. 06. सत्र 2015-16 में फार्मसी संस्थान में अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने संबंधी।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सत्र 2015-16 में फार्मसी संस्थान में अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन- प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 07. दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि अपरिहार्य कारणों से उक्त विषय को स्थगित रखा जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन- अकादमिक/परीक्षा विभाग)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.01.2016 की प्रथम पूरक कार्य सूची

विषय क्र.01. विधि प्रकोष्ठ में एक विधिक जानकार की आउट सार्सिंग सेवाएँ लिये जाने विषयक।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ में एक विधिक जानकार की आउट सार्सिंग सेवाएँ लिये जाने हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया, साथ ही प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त की जाये कि, विधिक जानकार की आउट सार्सिंग से सेवाएँ लिये जाने हेतु क्या मानदेय दिया जा रहा है ?

(क्रियान्वयन- प्रशासन/विधि/लेखा विभाग)

विषय क्र. 02. उत्तर पुस्तिकाए क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति विषयक।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु उत्तर पुस्तिकाए क्रय करने हेतु उच्च क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार खुली निविदा प्राप्त न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्मों से माह मार्च में आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिये आवश्यकतानुसार कुल 11.50 लाख उत्तर पुस्तिकाओं कुल राशि रूपये 45.09 लाख के क्रय करने का अनुमोदन किया जाता है साथ ही उक्त अवधि को एक वर्ष 2016-17 तक के लिये वृद्धि को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन- परीक्षा/गोपनीय/मुद्रणालय/लेखा विभाग)

विषय क्र. 03. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य बाबत।

निर्णय -- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा प्रोसेसिंग कार्य हेतु उच्च क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार खुली निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर रूपये 13.80 प्रति छात्र पर प्री एण्ड पोस्ट परीक्षा कार्य मेंसर्स माईक्रोन इन्फोटेक सर्विस प्रा. लि., अजमेर से कराने का अनुमोदन किया जाता है।

(क्रियान्वयन- परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग)

विषय क्र. 04. विक्रम विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध पीएच.डी. के शोध प्रबंधों एवं एम.फिल. के लघु शोध प्रबंधों (संयुक्त संख्या लगभग 9200) का डिजिटलाइजेशन कराने हेतु INFLIBNET CENTER, INFOCITY, GANDHINAGAR (GUJ) जो कि यू.जी.सी. का सेंटर है एवं विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के बीच संलग्न प्रारूप में एम.ओ.यू. सम्पादित करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध पीएच.डी. के शोध प्रबंधों एवं एम.फिल. के लघु शोध प्रबंधों (संयुक्त संख्या लगभग 9200) का डिजिटलाइजेशन कराने हेतु INFLIBNET CENTER, INFOCITY, GANDHINAGAR (GUJ) जो कि यू.जी.सी. का सेंटर है एवं विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के बीच संलग्न प्रारूप में एम.ओ.यू. सम्पादित करने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

(क्रियान्वयन- विकास/पुस्तकालय/विभाग)

विषय क्र. 05. विश्वविद्यालय की वर्ष 2015-16 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश 0216 क्रमांक 05 के कंडिका क्रमांक 21(6-ए) के प्रावधान के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिये किया जाना है। वर्ष 2014-15 की परीक्षा हेतु कार्यपरिषद् द्वारा गठित अनुचित साधन प्रकरण समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है।

उपर्युक्त प्रकरण में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा नई समिति का गठन प्रस्तावित किया गया :-

- | | |
|--|---|
| 01. कार्यपरिषद् सदस्य - एक | प्रो. एम.एस. परिहार |
| 02. संकायाध्यक्षों में से - एक | प्रो. बी.एस. चौहान, सतत शिक्षा अ.शा. वि.वि. उज्जैन। |
| 03. विद्यापरिषद् के शिक्षक सदस्यों में से - एक | डॉ. डी.एम. कुमावत, पर्यावरण प्रबंध स. वि.वि. उज्जैन। |
| 04. प्राचार्य सदस्य - दो | डॉ. उषा श्रीवास्तव, प्राचार्य, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
डॉ. महेश शर्मा, प्राचार्य, शा.कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन। |
| 05. अध्ययन बोर्ड में मनोनित छात्र में से - एक | |
| 06. कुलसचिव | पदेन |

एतद् सूचनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार सत्र 2015-16 हेतु समिति को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन- परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग)

विषय क्र. 06. वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.01.2016 के कार्यविवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.01.2016 के कार्यविवरण में समिति द्वारा प्रदान की गई अनुशंसा को यथा मान्य करते हुए अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन- लेखा विभाग)

विषय क्र. 07. अभिभाषकों के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि अभिभाषकों के शुल्क निर्धारण हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किये जाने एवं समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपतिजी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

(क्रियान्वयन- प्रशासन/विधि/लेखा विभाग)

विषय क्र. 08. भवन समिति की बैठक दिनांक 08.01.2016 के कार्यविवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 08.01.2016 के कार्यविवरण में समिति द्वारा प्रदान की गयी अनुशंसा को यथा मान्य करते हुए अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन- यांत्रिकी/विकास/लेखा विभाग)

विषय क्र. 09. ट्रेकसूट एवं ब्लेजर क्रय करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि दिनांक 29.12.2015 को आयोजित उच्च क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार खुली निविदा के तहत प्राप्त न्यूनतम दर पर मेसर्स नार्थ माहाना स्पोर्ट्स, उज्जैन से ट्रेकसूट तथा इन्दौर बुनकर सहकारी संस्थान मर्यादित, इंदौर से ब्लेजर के क्रय का अनुमोदन किया जाता है।

(क्रियान्वयन- क्रीड़ा विभाग/लेखा विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्र. 01. डॉ. तपन चौरे, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, की पूर्व सेवाओं को सम्मिलित करने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि डॉ. तपन चौरे, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, की पूर्व सेवाओं को जोड़ने बाबत प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन- प्रशासन विभाग)

विषय क्र. 02. डॉ. डी. एम. कुमावत, आचार्य, पर्यावरण प्रबंध संस्थान, की पूर्व सेवाओं को सम्मिलित करने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय - निर्णय लिया गया कि डॉ. डी. एम. कुमावत, आचार्य, पर्यावरण प्रबंध संस्थान, की पूर्व सेवाओं को जोड़ने बाबत प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन- प्रशासन विभाग)

विषय क्र. 03. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न निजी महाविद्यालयों न्यासी बोर्ड के गठन पर प्रस्तुत की गयी सूची पर विचार।

निर्णय - निर्णय लिया गया कि न्यासी बोर्ड की प्रस्तावित सूची यथा मान्य करते हुए माननीय कुलपतिजी को आगामी कार्यवाही हेतु यथा अधिकृत किया गया।


(क्रियान्वयन- प्रशासन विभाग)

कार्यपरिषद् सदस्य श्री सौरभ तिवारी द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के आर.डी.गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन में कालेज परिनियम 28 के अंतर्गत चयनित प्राचार्य एवं शिक्षकों को बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा रहा है या नहीं। इसकी जानकारी प्राप्त की जाये।

(क्रियान्वयन- अकादमिक विभाग)

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति


प्रभारी कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/1211

दिनांक :- 04/04/2016

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/1211-11

दिनांक :- 04/04/2016

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल।
02. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।


प्रो. हंभार्ज (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2016 / 1204

दिनांक :- 2/4/2016

कार्यपरिषद्

की

बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 26 मार्च 2016

समय :- मध्याह्न : 12:00 बजे

--: उपस्थिति :-

01. प्रो. एस. एस. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. जी. के. शर्मा	सदस्य
03. डॉ. नागेश शिन्दे	सदस्य
04. डॉ. राजेश शर्मा	सदस्य
05. श्री हरनाम सिंह यादव	सदस्य
06. श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
07. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
08. सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
09. डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
10. डॉ. उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग)	सदस्य
11. श्रीमती आरती शर्मा (कोष एवं लेखा, उज्जैन)	सदस्य
12. डॉ. एस.सी.आर्य	कुलसचिव एवं सचिव

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.2016 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
टिप्पणी :- कार्यविवरण की छाया प्रति संलग्न।

निर्णय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.2016 के कार्यविवरण के बिन्दु क्रमांक 01 के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए कि वर्ष 2007 में नियुक्त शिक्षकों को स्थायीकरण के प्रकरण में कार्य-परिषद् सदस्यों द्वारा माननीय कुलपतिजी को स्वतंत्र जांच इत्यादि कराने हेतु अधिकृत किया गया एवं बिन्दु क्रमांक 04 में भी आंशिक संशोधन को मान्य करते हुए में इण्डिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. के साथ अनुबंध को 30 जून 2017 तक के लिये वृद्धि को मान्य करते हुवे एवं दिनांक 9.1.2016 के कार्य-विवरणों की पुष्टि की गयी।

विषय क्र. 02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.01.2016, 19.01.2016, 05.02.2016, 12.02.2016, 26.02.2016 एवं 18.03.2016 के कार्य विवरणों पर विचार।
टिप्पणी :- कार्यविवरणों की प्रति संलग्न।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि मॉ शारदा महाविद्यालय, शामगढ एवं मिरेकल मेडिकल कॉलेज के प्रकरण को आगामी बैठक में रखने एवं अन्य विद्या परिषद् की उपरोक्त तिथियों की बैठकों के कार्य विवरण की पुष्टि की गयी।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/सम्बद्धता विभाग)

विषय क्र. 03. शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

टिप्पणी :- सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।

निर्णय :- शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गयी।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/पीएच.डी. विभाग)

विषय क्र. 04. बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल वित्तीय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 की वास्तविक आय-व्यय। वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवासीय संपरीक्षा द्वारा दी गई आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन।

निर्णय :- वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.3.2016 में की गयी अनुशंसा अनुसार बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित वित्तीय अनुमानों तथा बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल वित्तीय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 की वास्तविक आय-व्यय का अनुमोदन किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवासीय संपरीक्षा द्वारा दी गई आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए पुष्टि की गयी। इसी प्रकार परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 8.3.16 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.3.16 तथा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.3.16 में परीक्षा एवं अन्य शुल्क तथा संबद्धता शुल्क एवं विद्यार्थी सर्विस शुल्क में की गई आंशिक वृद्धि की अनुशंसा को मान्य करते हुये अकादमिक सत्र 2016-17 से शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्र. 05 डॉ. शिशिर श्रीवास्तव, उ.श्रे.लि. 1, अकादमिक विभाग की गंभीर बीमारी हृदय संबंधी रोग के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय राशि रु. 96,771/- (अक्षरी रूपये छीयानवे हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति की अनुमति पर विचार।

निर्णय :- डॉ. शिशिर श्रीवास्तव, उ.श्रे.लि. 1, अकादमिक विभाग की गंभीर बीमारी हृदय संबंधी रोग के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय राशि रु. 96,771/- (अक्षरी रूपये छीयानवे हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति शासन के नियमानुसार मान्य की गयी।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 06. परिनियम क्रमांक 28 के पैरा 17(बी) (3) में संशोधन समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु प्रकरण विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि परिनियम क्रमांक 28 के पैरा 17(बी) (3) में संशोधन समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजने के संबंध में आवेदकों की संख्या पांच के स्थान पर न्यूनतम तीन का प्रस्ताव मान्य किया गया जिसमें साक्षात्कार हेतु कम से कम से दो का उपस्थित होना आवश्यक है यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/सम्मिलन विभाग)

विषय क्र. 07. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में अधीक्षकों को पाँचवे वेतनमान में रुपये 5500-175-9000(छठवे वेतनमान में रुपये 9300-34,800+ग्रेड पे 3600) देने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में अधीक्षकों को पाँचवे वेतनमान में रुपये 5500-175-9000(छठवे वेतनमान में रुपये 9300-34,800+ग्रेड पे 3600) दिये जाने को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 08. वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 22 अगस्त 2015 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 अगस्त 2015 पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 22 अगस्त, 2015 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 अगस्त, 2015 को प्रकाशित आदेश को यथावत अंगीकृत किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र. 09. भौतिक विषय में डॉ. के.के. चौधरी को डी.एस.सी. उपाधि प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- भौतिक विषय में डॉ. के.के. चौधरी को डी.एस.सी. उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/पीएच.डी.विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्र. 01 कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 1.9.2015 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के बिन्दु क्रमांक 07 पर लिये गये निर्णयानुसार अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को जांच कार्य हेतु सेवा शुल्क का निर्धारण करने बाबत।

टीप :- उपरोक्त विषय में सम्बद्धता, गोपनीय विभाग, लेखा विभाग की वेतन संबंधी जांच हेतु न्यायाधीन को प्रति बैठक 5000.00 (पांच हजार रुपये) अधिकतम 10 बैठक करने हेतु सेवा शुल्क प्रदान करने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में जांच हेतु अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को जांच कार्य हेतु मानदेय रूपये 5000.00 प्रति बैठक एवं अधिकतम 10 बैठक के लिये एवं वास्तविक यात्रा भात्ता प्रदान करने का प्रस्ताव मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्रं -2 कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं परीक्षा/गोपनीय विभाग हेतु DGS &D दर पर वाहन क्रय करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कुलपति, कुलसचिव कार्यालय एवं गोपनीय/परीक्षा विभाग की चार पुरानी वाहन नीलाम होने के परिप्रेक्ष्य में कार्य संपादन हेतु DGS &D के दर पर कुल 04 नवीन वाहन क्रय करने के प्रस्ताव को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/यांत्रिकी विभाग)

विषय क्रं. -3 विश्वविद्यालयीन नियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनाज अग्रिम देने पर विचार।

	वर्तमान में देय अनाज अग्रिम	प्रस्तावित अनाज अग्रिम
नियमित कर्मचारी	7000/-	10000/-
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	4000/-	7000/-

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि वर्ष 2016 में सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयीन नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनाज अग्रिम के प्रस्ताव को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्रं. -4 लायब्रेरी समिति से प्राप्त अनुशंसा विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में सीबीसीएस प्रणाली सत्र 2016-17 से प्रारंभ हो रही है इस हेतु लायब्रेरी समिति से प्राप्त अनुशंसा को यथा प्रस्तावित मान्य करते हुए निगोशिऐटेड छूट दरों पर रूपये सत्तर लाख की पृस्तकें (छूट घटाने के बाद) क्रय करने के प्रस्ताव को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-विकास/लायब्रेरी विभाग)

विषय क्रं. -5 विश्वविद्यालय अतिथि निवास के भोजन एवं नाश्ते की दर निर्धारण करने पर विचार।

नेर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में स्थित अतिथि निवास में कार्यरत खानसामा से प्राप्त पत्र में उल्लेखित भोजन एवं नाश्ते की पूर्व दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 01 अप्रैल, 2016 से नवीन दर को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

- विषय क्रं. -6** विश्वविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को तत्काल डिग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
वर्तमान में सामान्य शुल्क 210 प्रस्तावित शुल्क 2000.00
- निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को तत्काल (24 घण्टे के भीतर) डिग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-परीक्षा/लेखा विभाग)

- विषय क्रं. -7** पुर्नगणना एवं विथहेल्ड विद्यार्थियों की कापी को डिस्प्ले करने की प्रक्रिया एवं दर निर्धारित करने पर विचार।

- निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि पुर्नगणना एवं विथहेल्ड विद्यार्थियों की कापियों को ऑनलाइन प्रदर्शित करने की प्रक्रिया के तहत डिस्प्ले करने का निर्णय लिया गया एवं इस हेतु शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-परीक्षा/गोपनीय विभाग)

- विषय क्रं. -8** प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सम्पूर्ण विषय की कापी देखने हेतु दर निर्धारित करने पर विचार।

- निर्णय :-** विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते/होती हैं तो उन्हें सम्पूर्ण विषय की उत्तर पुस्तिका ऑन लाइन दिखाने एवं इस हेतु शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-परीक्षा/गोपनीय विभाग)

- विषय क्रं. -9** विभिन्न छात्र संगठनों से पुर्न मूल्यांकन हेतु प्राप्त ज्ञापन पर विचार।

- निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि विभिन्न छात्र संगठनों से पुर्न मूल्यांकन हेतु प्राप्त ज्ञापन को राज्य शासन एवं समन्वय समिति को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-परीक्षा/वि.क.सं. विभाग)

- विषय क्रं. -10** मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 454/260/2016/38-3 भोपाल दिनांक 22/3/2016 पर विचार।

- निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि राज्य शासन से प्राप्त पत्रानुसार यू.जी.सी.नियमन 2009 के अनुरूप पीएच.डी. उपाधि प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध संलग्न प्रारूप को यथा मान्य किया जाता है।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/पीएच.डी. विभाग)

- विषय क्रं. -11** विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भौगी कर्मचारियों को नियमितिकरण करने पर विचार।

- निर्णय :-** निर्णय लिया गया कि दैनिक वेतन भौगी कर्मचारियों को नियमितिकरण के पूर्व अंतिम वरिता

सूची का निर्धारण कर राज्य शासन को नियमानुसार प्रस्ताव भेजकर राज्य शासन से अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. -12 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 465/303/2016/38-3 भोपाल दिनांक 24/3/2016 पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन के बीच हुए मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एमओयू) के अनुसार राज्य शासन को प्रेषित पूर्व पत्र पर कार्यवाही अपेक्षित है एवं संदर्भित पत्र के परिपालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए संबंधित को पद रिक्त होने की दशा में नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि इसे भविष्य में उदाहरण ना माना जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. -13 विश्वविद्यालय आवासीय परिसर स्थित कुलसचिव निवास सह कार्यालय के विधुत एवं जलकर देयक का भुगतान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय आवासीय परिसर स्थित कुलसचिव निवास सह कार्यालय के लिये विधुत देयक व्यय का 50 प्रतिशत एवं जलकर के लिये 100/-रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)


विषय क्रं. -14 विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से ई-गवर्नेंस लागू करने के संबंध में विचार।

निर्णय :- विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पूर्ण रूप से ई-गवर्नेंस लागू करने के प्रस्ताव को माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्य-परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिस हेतु कार्य-परिषद् सदस्यों द्वारा लागू करने के लिये विभिन्न एजेंसियों से सम्पर्क कर उत्तम तकनीकी लागू करने के लिये प्रस्ताव को आगामी कार्यवाही हेतु मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-विकास/ऑनलाइन विभाग)



कुलपतिजी



कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/3635

प्रति,

दिनांक :- 06-08-16

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2016 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2016 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

दिनांक :- 06-08-16

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/3636

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

102
218
प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

ब्र. मांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2016 / 3382

दिनांक :- 27-07-2016

कार्यपरिषद्
की

बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 18 जुलाई 2016

समय :- मध्याह्न : 12:00 बजे

--: उपस्थिति :-

01. प्रो. एस. एस. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. जी. के. शर्मा	सदस्य
03. डॉ. नागेश शिन्दे	सदस्य
04. डॉ. राजेश शर्मा	सदस्य
05. श्री हरनाम सिंह यादव	सदस्य
06. श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
07. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
08. सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
09. डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
10. डॉ. उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग)	सदस्य
11. डॉ. डी. के. बग्गा	प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव

कार्यपरिषद् की बैठक प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी एवं प्रभारी कुलसचिवजी द्वारा सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों ने माननीय कुलपतिजी के एक वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने में किये गये कार्यों का उल्लेख (विश्वविद्यालय को नेक द्वारा ए ग्रेड, रूस से प्राप्त ग्रांट, नवीन भवनों के निर्माण आदि) की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय को इसी प्रकार उन्नती की ओर आगे बढ़ाये एवं कार्यपरिषद् के सभी सदस्य हमेशा आपके सहयोग के लिये तत्पर हैं। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषयक्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।

टिप्पणी :- कार्यविवरण की छाया प्रति संलग्न।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.2016 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषयक्र. 02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.04.2016, 13.04.2016, 30.04.2016, 13.05.2016, 30.05.2016, 02.06.2016, 10.06.2016, 24.06.2016 एवं 30.06.2016 के कार्य विवरणों पर विचार।

टिप्पणी :- कार्यविवरणों की छायाप्रति संलग्न।

निरंतर...02

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.04.2016, 13.04.2016, 30.04.2016, 13.05.2016, 30.05.2016, 02.06.2016, 10.06.2016, 24.06.2016 एवं 30.06.2016 के कार्य विवरणों की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 03. शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।

टिप्पणी :- सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की जावे।

(क्रियान्वयन-गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 04. सत्र 2013-14 एवं 2014-15 की उपाधि मुद्रण कराने विषयक।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सत्र 2013-14 एवं 2014-15 की उपाधि मुद्रण कराने के प्रकरण को मान्य किया जावे।

(क्रियान्वयन-परीक्षा विभाग)

विषय क्र. 05. श्री सुधीर चतुर्वेदी, उ.श्रे.लि. की गंभीर बीमारी इन्द्रा स्पाईनल कार्ड संबंधी शल्य चिकित्सा के व्यय राशि रु.1,69,787/- की प्रतिपूर्ति की अनुमति के संबंध में विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि श्री सुधीर चतुर्वेदी, उ.श्रे.लि. की गंभीर बीमारी इन्द्रा स्पाईनल कार्ड संबंधी शल्य चिकित्सा के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय राशि रूपये 1,69,787/- (अक्षरी रूपये एक लाख उनसत्तर हजार सात सौ सित्यासी मात्र) की प्रतिपूर्ति शासन के नियमानुसार मान्य कर भुगतान किया जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 06. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रं. एफ 04-01/2016/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 03 जून 2016 के द्वारा राज्यशासन के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2015 से मूल वेतन+ग्रेड पे के 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के स्थान पर 01 जनवरी 2016 से मूल वेतन+ग्रेड पे का 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रं. एफ 04-01/2016/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 03 जून 2016 द्वारा जारी परिपत्र अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्राह्य की जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 07. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए संविदा/अतिथि विद्वानों के आमंत्रण करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के नियमों को अंगीकृत करने पर विचार ।
टिप्पणी :- नियम पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए संविदा/अतिथि विद्वानों के आमंत्रण करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के नियमों को अंगीकृत कर कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

कार्यपरिषद् की पूरक-सूची

विषय क्र.01. श्री नवीन भटनागर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन, सेवा निवृत्ति दिनांक 31.01.2014 के ग्रेज्युटी एवं नगदीकरण की राशि के भुगतान करने पर विचार।

निर्णय :- श्री नवीन भटनागर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन, सेवा निवृत्ति दिनांक 31.01.2014 के ग्रेज्युटी एवं नगदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा राज्य शासन के पत्रों/माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी गंभीरता से विचार-विमर्श करने के उपरांत उपरोक्त प्रकरण के भुगतान की अनुशंसा करती है तथा कार्यपरिषद् यह भी अनुशंसा करती है कि इसे भविष्य में उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.02. डॉ. हंसा व्यास को इतिहास विषय में डी.लिट. उपाधि प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि डॉ. हंसा व्यास को इतिहास विषय में डी.लिट. उपाधि प्रदान करने की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/गोपनीय विभाग)

विषय क्र.03. श्री मनोहरलाल दलाल, सेवानिवृत्त, प्राध्यापक की अंतिम पेंशन राशि रु. 1,275/- प्रतिमाह के भुगतान किये जाने की सूचना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि श्री मनोहरलाल दलाल, सेवानिवृत्त, प्राध्यापक के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/राज्य शासन के स्वीकृति पत्र को दृष्टिगत रखते हुये प्रावधानित पेंशन रु. 1275/- प्रतिमाह के भुगतान की अनुशंसा की जाती है तथा कार्यपरिषद् यह भी अनुशंसा करती है कि इसे भविष्य में उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.04. समन्वय समिति की 90 बैठक में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के पीएच.डी. अध्यादेश को अंगीकृत करने एवं विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2016 के विषय क्रमांक 04 में पीएच.डी.(नवीन) अध्यादेश क्रमांक 90 में संशोधन उपरान्त अंगीकृत करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति की 90 बैठक में पारित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के पीएच.डी. अध्यादेश क्रमांक 90 को अंगीकृत करने हेतु विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2016 के विषय क्रम 04 में पीएच.डी. (नवीन) अध्यादेश क्रमांक 90 में संशोधन उपरान्त अंगीकृत कर आगामी कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषय क्र.05. विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु ग्रेडींग सिस्टम लागू किया गया गया है एतद् सूचनार्थ।

निर्णय :- विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु ग्रेडींग सिस्टम लागू किये जाने की सूचना ग्राह्य की जावे।

(क्रियान्वयन-अकादमिक/परीक्षा/गोपनीय विभाग)

विषय क्र.06 उत्तर पुस्तिका क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुल 13.50 लाख उत्तर पुस्तिका क्रय करने की राशि रु. 52,22,990/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन-मुद्रणालय/परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग)

विषय क्र.07 डॉ. नागेश्वर रॉव, आचार्य, पं.ज.ने. व्यवसाय प्रबंध संस्थान, के स्वत्वभार की स्वीकृति के संबंध में विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि डॉ. नागेश्वर रॉव, आचार्य, पं.ज.ने. व्यवसाय प्रबंध संस्थान को नियमानुसार स्वत्वभार की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.08 विश्वविद्यालय में होने वाली आय-व्यय का बैंक रिकॉसिलेशन एवं विश्वविद्यालय की बेलेंस शीट तैयार करने तथा भौतिक सत्यापन करवाने हेतु सनद लेखपाल (सीए) की सेवाएँ लिये जाने संबंधी विचार।

निर्णय :- विश्वविद्यालय में होने वाली आय-व्यय का बैंक रिकॉसिलेशन एवं विश्वविद्यालय की बेलेंस शीट तैयार करने तथा भौतिक सत्यापन करवाने हेतु सनद लेखपाल (सीए) की सेवाएँ नियमानुसार लिये जाने संबंधी प्रस्ताव मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.09 सेवानिवृत्त प्रो.गोपाल उपाध्याय को क्लेम भुगतान करने के संबंध में विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त प्रो. गोपाल उपाध्याय को निलंबन से बहाल करते हुये तथा निलंबित अवधि को कार्य अवधि मान्य करते हुये प्रस्ताव अनुसार सेवानिवृत्त पर देय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.10 विश्वविद्यालय हेतु पुस्तकों का क्रय में इण्डिका पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली से क्रय करने उपरान्त वित्तीय भुगतान की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय हेतु में इण्डिका पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली से क्रय की गई पुस्तकों के देयक राशि रूपये 70.00 लाख (छूट घटाने के पश्चात्) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन-पुस्तकालय/विकास/लेखा विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्र.01 भवन समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्य विवरण अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- भवन समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्य विवरण को अनुमोदित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के प्रभारी यांत्रिकी श्री अतुल जैन द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों के संधारण कार्य, भवनों के वाटर प्रुफिंग का टेंडर भवन समिति से परीक्षण/कार्यपरिषद् से स्वीकृत न कराते हुए सीधे टेंडर प्रकाशित कराने संबंधी प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष संज्ञान में लाया गया जिस पर कार्यपरिषद् द्वारा टेंडर निरस्त करने की कार्यवाही को मान्य करते हुये गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। कार्यपरिषद् ने प्रभारी यंत्री द्वारा किये गये कृत्य को गंभीरता से लिया एवं उक्त यंत्री पर क्या कार्यवाही की जाये। इस संबंध में टेंडर कॉस्ट की वसूली, चेतावनी पत्र, वेतन वृद्धि रोकने, इत्यादि के संबंध में विधिक राय ली जावे। अतः सभी पक्षों को विचार में लाते हुए उक्त प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद् में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.02 विश्वविद्यालय के भवनों का संधारण कार्य हेतु उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री क्रय करने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के भवनों का संधारण कार्य हेतु उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री राशि रूपये 14.50 लाख की क्रय करने की स्वीकृति के प्रस्ताव को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-विकास/लेखा विभाग)

विषय क्र.03 वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्य विवरण अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्य विवरण को अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन-यांत्रिकी/विकास/लेखा विभाग)

विषय क्र.04 विश्वविद्यालय के कार्यालयों, शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों एवं आवासग्रहों इत्यादि में वार्षिक संधारण कार्य से संबंधित तृतीय एवं अंतिम चल देयक रूपये 5,74,478/- के भुगतान की स्वीकृति बाबत।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के कार्यालयों, शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों एवं आवासग्रहों इत्यादि में वार्षिक संधारण कार्य से संबंधित तृतीय एवं अंतिम चल देयक रूपये 5,74,478/- के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन-विकास/लेखा विभाग)


बैठक के अंत में कार्यपरिषद् के सम्माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा सदन को अवगत कराया कि मंदसौर जिले में संचालित हो रहा माँ शारदा महाविद्यालय जिसकी परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा ली जा चुकी हैं, लेकिन उक्त महाविद्यालय ने संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय को आवेदन ही नहीं किया गया है। सदस्य द्वारा अवगत कराया कि माँ शारदा महाविद्यालय, मंदसौर के प्रकरण की विस्तृत वस्तुस्थिति कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

चर्चा के दौरान माननीय कुलपतिजी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आगामी माह में करने पर विचार चल रहा है जिस पर महामहिम कुलाधिपतिजी की स्वीकृति एवं मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


21-7-16
कुलपति


29-7-16
प्रभारी कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/3915

दिनांक :- 26-09-16

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 13.09.2016 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 13.09.2016 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार



कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/3916

दिनांक :- 26-09-16

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।


26.9.16
प्रो. इंचार्ज (अकादमिक)
L



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्मिलन / 2016 / 3899

दिनांक :- 22.9.16

कार्यपरिषद्
की
आपात
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 13 सितम्बर 2016

समय :- मध्याह्न : 11:30

पृष्ठ

--: उपस्थिति :-

01. प्रो. एस. एस. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. जी. के. शर्मा	सदस्य
03. डॉ. नागेश शिन्दे	सदस्य
04. श्री हरनाम सिंह यादव	सदस्य
05. श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
06. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
07. सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
08. डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
09. डॉ. उषा श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग)	सदस्य
10. डॉ. एस. सी. आर्य	कुलसचिव एवं सचिव

कार्यपरिषद् की बैठक में विशेष रूप से माननीय श्री आशीष उपाध्याय, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की उपस्थिति रही। कार्यपरिषद् की बैठक प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी, कुलसचिवजी एवं सम्माननीय कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों द्वारा प्रमुख सचिव महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव महोदय से सभी कार्यपरिषद् के सदस्यों का परिचय कराया गया। इसके उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विषय क्र.01. स्नातक स्तर पर पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्रों की विशेष परीक्षा के आयोजन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक / 579/284/अकादमिक शाखा-5(अ)/2016 भोपाल दिनांक 17.08.2016 में दिये गये निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर सभी सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्रों की विशेष परीक्षा शिघ्र आयोजित कर उनके परीक्षा परिणाम भी त्वरित घोषित किये जायें।


(क्रियान्वयन-अकादमिक/परीक्षा/गोपनीय विभाग)


निरंतर...02

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सदन को संज्ञान में लाया कि परीक्षा योजनाओं का समय चक्र का विशेष रूप से ध्यान रख कर परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिये एवं उनका परिणाम भी शीघ्र घोषित होना चाहिये। कतिपय छात्र संगठनों द्वारा शासन को अवगत कराया जाता है कि परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होती हैं एवं उनका परिणाम भी विलंब से घोषित होता है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर कुलसचिव द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया कि इस सत्र से परीक्षा परिणाम (रिजल्ट प्रोसेसिंग)/ अंकसूची निर्माण का कार्य अजमेर की फर्म को दिया गया है। चूंकि उक्त फर्म द्वारा परीक्षा परिणाम समय पर तैयार कर नहीं दे पा रही है, इससे परीक्षा परिणाम में विलम्ब हो रहा है। प्रमुख सचिवजी द्वारा इस संबंध में कुलसचिव से उक्त फर्म के अनुबंध में क्या दण्ड निहित है, के संबंध में जानकारी चाही गई, जिस पर कुलसचिव उक्त जानकारी का तत्काल उत्तर नहीं दे पाये। इस पर प्रमुख सचिवजी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि उक्त फर्म (कंपनी) से अनुबंध के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। तत्पश्चात् माननीय प्रमुख सचिवजी को कुलसचिव द्वारा रिकार्ड अवलोकन के पश्चात् जानकारी से अवगत कराया गया।

बैठक के अंत में कुलसचिवजी द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक में उपस्थित हुए प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल एवं सम्मानीय कार्यपरिषद् के सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति


कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/4571

दिनांक :-20.12.16

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।


विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2016 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2016 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार



कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/4572

दिनांक :-20.12.16

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।


प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/ 4477

दिनांक :- 4.12.16

कार्यपरिषद् की बैठक की कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 03 दिसम्बर 2016

समय :- अपरान्ह : 03:00 बजे

--: उपस्थिति :-

01. प्रो. एस.एस.पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02. डॉ. बृजेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य
03. डॉ. बी.के. मेहता	सदस्य
04. श्री हरनामसिंह यादव	सदस्य
05. श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
06. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
07. सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
08. डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
09. डॉ. प्रतिभा कोठारी	सदस्य
10. सुश्री आरती शर्मा (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग)	सदस्य
11. डॉ. एस.सी.आर्य	कुलसचिव एवं सचिव

माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद् के सम्माननीय सदस्यों के साथ नवागत कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. बी. एस. चौहान एवं डॉ. बी. के. मेहता का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2016/रा.स./यू.ए.1/1080 दिनांक 19.09.2016 के अनुसार विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7202 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक 940 के संबंध में परीक्षा परिणाम में मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है कि जानकारी चाही गई जिस पर सदन में 0.18 प्रतिशत अधिक त्रुटि होना पाया गया है। उक्त आशय की सूचना माननीय कुलपतिजी द्वारा सदन को दी गई। यदि भविष्य में जिससे भी गलतियां होंगी तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

माननीय सदस्यों द्वारा सूचना ग्राह्य की गई।

बैठक के प्रारम्भ में संबद्धता से संबंधित प्रश्न श्री हरनाम सिंह यादव, सदस्य द्वारा उठाया गया, जिसमें पूर्व न्यायाधीश श्री सिद्धिकी साहब के अस्वस्थ होने के कारण किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा एक माह में उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये, यथा कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2016 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2016 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2016 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2016 के कार्यविवरण को अनुमोदित किया जाये।

(क्रियान्वयन- अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14.07.016, 26.07.016, 29.07.016, 02.08.016, 05.08.016, 12.08.016, 26.08.016, 02.09.016, 30.09.016, एवं 19.10.016, के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14.07.016, 26.07.016, 29.07.016, 02.08.016, 05.08.016, 12.08.016, 26.08.016, 02.09.016, 30.09.016, एवं 19.10.016, के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया जाये।

(क्रियान्वयन- अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 03. शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन- गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 04. विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित संभागीय एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव हेतु मानदेय एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ब्लेजर/क्रेस्ट प्रदाय करने पर विचार।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित संभागीय एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव हेतु मानदेय में आंशिक वृद्धि करते हुये निम्नानुसार मानदेय दर स्वीकृत की जाती है।

क्र.	विवरण	पूर्व की दर	नवीन दर
1	निर्णायक/अध्यक्ष	रु. 450/- एवं रु. 50/-	रु. 500/- प्रतिदिन एवं रु. 100/- वाहन भत्ता
2	संगतकार	रु. 1000/-	रु. 1000/- प्रतिदिन
3	दल प्रबंधक	रु. 1000/-	रु. 1000/- प्रतिदिन
4	आयोजन हेतु समिति के सदस्यों के साथ-साथ झूटी में संलग्न कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता	रु. 50/-	रु. 100/- प्रतिदिन

2. प्रस्ताव अनुसार राज्य स्तरीय उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नियमानुसार ब्लेजर/क्रेस्ट प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन- लेखा/वि.क.वि./शा.शिक्षा विभाग)

विषय क्र. 05. वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.11.2016 के कार्य विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.11.2016 के कार्य विवरण के अनुमोदन किया जाये। इसके साथ ही रूसा के बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में अध्यक्ष की अनुमति के विषय क्रमांक 6 पर प्रशासनिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन- लेखा विभाग)

विषय क्र. 06. विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाने पर विचार।

टीप :- विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन/विभिन्न अध्ययनशालाओं तथा अन्य विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में गठित समिति का मानना था कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न अध्ययनशालाओं, विभागों एवं प्रशासनिक भवन में लगभग 210 सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हैं तथा इन सीसीटीवी कैमरों की नेटवर्किंग भी करायी जाना आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुये सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें।

2. गठित समिति का यह भी मानना था कि चूंकि इस वित्तीय वर्ष में रूसा योजना के तहत विश्वविद्यालय को राशि प्राप्त होने की पूरी संभावना है, अतः सीसीटीवी कैमरे एवं नेटवर्किंग हेतु आवश्यक समस्त उपकरणों की दरें तो आमंत्रित कर ली जावें, लेकिन सीसीटीवी कैमरे/नेटवर्किंग उपकरण की न्यूनतम दर का निर्धारण होने पर राशि की वास्तविक उपलब्धता को देखते हुये सीसीटीवी कैमरे की संख्या का निर्धारण एवं नेटवर्किंग उपकरणों का क्रय करने का निर्णय लिया जावें।

3. अतः गठित समिति की बैठक दिनांक 14.06.2016 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन माननीय कुलपतिजी से प्राप्त कर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन/विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं अन्य विभागों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाने हेतु खुली निविदा पद्धति के तहत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय (उज्जैन, इन्दौर एवं भोपाल) के एक-एक समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी की गयी। जारी विज्ञप्ति के तहत केवल दो फर्मों से ही सीलबंद लिफाफे प्राप्त हुये, अतः समिति का मानना था कि प्रथम आमंत्रण में कम से कम तीन निविदायें प्राप्त होना आवश्यक है, ताकि न्यूनतम दर का निर्धारण तुलनात्मक रूप से विधिवत रूप से हो सकें। पुनः माननीय कुलपतिजी से अनुमोदन प्राप्त कर द्वितीय बार सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम के लिये खुली निविदा के तहत विज्ञप्ति राष्ट्रीय समाचार-पत्र द हिन्दु एवं राज्य स्तरीय समाचार-पत्र इन्दौर, उज्जैन एवं भोपाल के एक-एक समाचार-पत्र में जारी करने के लिये पुनः विज्ञप्ति जारी की गयी। जारी विज्ञप्ति अनुसार द्वितीय आमंत्रण पर निर्धारित अंतिम दिनांक 17.10.16 समय 01:30 बजे तक निम्नलिखित चार फर्मों से सीलबंद लिफाफे प्राप्त हुये।

1. हिमालय ट्रेडर्स, भोपाल
2. निधि इंडस्ट्रीज, ग्वालियर
3. डिजीटल इंडिया सिक्यूरिटी प्रोडेक्ट प्रा.लि.भोपाल
4. हस्थी कम्प्यूटर, इन्दौर

4. अतः समिति द्वारा इन चार फर्मों से प्राप्त तकनीकी बिड का परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जा रही है। इन फर्मों की तकनीकी बिड मान्य होने पर इन फर्मों की वित्तीय बिड को खोला जावेगा तथा जिस फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन/विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं अन्य विभागों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाने हेतु न्यूनतम दर देते हुये, निविदा की शर्तों को मान्य किया जावेगा, उस फर्म से सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम क्रय कर विधिवत रूप से संस्थापित करवाया जावेगा, अतः सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम क्रय कर विधिवत रूप से संस्थापित करवाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाने पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यपरिषद का यह मानना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाया जाना अति-आवश्यक है। अतः खुली निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर पर सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन- प्रशासन/भंडार विभाग)

विषय क्र. 07. विश्वविद्यालय परिसर में सौलर लाईट लगवाने पर विचार।

टीप :-वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माधव भवन केवल एक सौलर लाईट संस्थापित है, जो सुचारु रूप से कार्य कर रही है। यह सौलर लाईट एक वर्ष पूर्व नेक टीम के निरीक्षण के समय लगवायी गयी थी। इस एक सौलर लाईट के अलावा विश्वविद्यालय परिसर में ओर कहीं भी सौलर लाईट संस्थापित नहीं है।

2. यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर की स्ट्रीट लाईट पर लगभग रुपये 4.00 लाख का प्रतिवर्ष व्यय होता है। वर्तमान में स्ट्रीट लाईट में सोडियम लेम्प, सीएफएल लेम्प तथा ट्यूब लाईट का उपयोग हो रहा है। यदि विश्वविद्यालय परिसर की स्ट्रीट लाईट में सौलर लाईट का उपयोग किया जाय, तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय को विद्युत देयक के भुगतान में जो वित्तीय भार पड़ता है, उसमें काफी कमी आ सकती है। इसके साथ ही सौलर लाईट के उपयोग से पर्यावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव होगा।

3. अतः विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार सौलर लाईट का नियमानुसार क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में नियमानुसार सौलर लाईट लगवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन- प्रशासन/यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र. 08. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अनुबंधित फर्म में माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाओं को निरन्तर रखने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2016-17 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अनुबंधित फर्म में माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाएं निरन्तर रूप से संतोषजनक नहीं पायी जा रही है, जिसके कारण जहां एक ओर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो अंकसूचियां इस फर्म द्वारा प्रदान की जा रही हैं, वह समय पर प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को अनावश्यक अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. यहां उल्लेखनीय है कि प्रबंधक, माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर को विश्वविद्यालय के पत्र क्र./परीक्षा/2016/630, दिनांक 06.10.2016 एवं पत्र क्र./परीक्षा/2016/632, दिनांक 06.10.2016 को भेजे गये। भेजे गये पत्र द्वारा यह अवगत कराया

गया कि आपकी फर्म द्वारा सत्र 2016-17 हेतु जो परीक्षा संबंधी कार्य किया जा रहा है, वह त्रुटिपूर्ण होने के कारण विभाग में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, इस संबंध में समय-समय पर आपको अवगत कराने के पश्चात् भी त्रुटियों में सुधार नहीं किया जा रहा है तथा परिलक्षित अनेक त्रुटियों को लिखित में सूचित करते हुये, उनमें सुधार करने का अनुरोध, संबंधित फर्म से किया गया तथा पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि फर्म द्वारा जो त्रुटियाँ की गयी हैं, उसके लिये अनुबंध के अनुसार दण्ड दिया जावेगा तथा फर्म को ब्लैक लिस्ट करने एवं अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी। यद्यपि फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.10.2016 द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये, यह लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के परीक्षा परिणाम एवं टीआर में कोई प्रिंटिंग में यदि कोई त्रुटि है, तो समय पर बताना विश्वविद्यालय की भी नैतिक जिम्मेदारी है, अतः इस दृष्टि से यह त्रुटि फर्म की नहीं है। इस फर्म द्वारा दिनांक 15.10.2016 को एक अन्य पत्र लिखकर बिन्दुवार जानकारी देते हुये, तथ्यात्मक टिप्पणी दी गयी है।

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि मुख्य समन्वयक, गोपनीय विभाग द्वारा नोटशीट पर दी गयी टीप दिनांक 08.11.2016 में यह स्पष्ट किया गया कि मे. माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा. लि., अजमेर द्वारा तैयार किये जा रहे परीक्षा परिणामों से संबंधित कार्य समय पर नहीं करते हैं और जो कार्य किया जाता है, उनमें त्रुटियाँ पायी जाती हैं, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है एवं विश्वविद्यालय की छबि धूमिल हो रही है। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया है कि इस फर्म के अनुबंध को निरस्त कर, निविदा में दूसरे क्रम पर रही फर्म से चर्चा कर सहमति प्राप्त की जाना उचित होगा।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में विधि सलाहकार से एक विधिक अभिमत भी लिया गया है, जिसमें विधिक सलाहकार द्वारा लेख किया गया है कि फर्म को दूसरा पत्र दिया जाकर, उसका अनुबंध निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना उचित होगा। फर्म को व्यक्तिगत रूप से भी विश्वविद्यालय में बुलाकर उससे चर्चा कर, उसका अनुबंध निरस्त किया जाने की कार्यवाही की सकती है।

5. यहां यह भी विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि संबंधित फर्म को विश्वविद्यालय के पत्र क्र. /परीक्षा/2016/713, दिनांक 16.11.2016 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र अनुबंध दिनांक 17.05.2016 को निरस्त किये जाने के संबंध में दिया गया है। फर्म को अपना स्पष्टीकरण सात दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

6. अतः मे. माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर की सेवाओं को समाप्त करने तथा पूर्व में जारी खुली निविदा के तहत द्वितीय न्यूनतम दर बतलाने वाली फर्म से परीक्षा परिणाम संबंधित कार्य सम्पन्न कराये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय :-

कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा कर विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् में प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुये अनुबंधित फर्म में, माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि. अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाओं को तत्काल बंद कर, अनुबंध की शर्त अनुसार कड़ी कार्यवाही करते हुये विधि अनुसार द्वितीय न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म से विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में तत्काल समुचित कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन- परीक्षा/गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 09. विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न खेल दलों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों हेतु ब्लेजर/ट्रेकसूट के क्रय रुपये 8,83,607/-(अक्षरी आठ लॉख त्रियासी हजार छःसौ सात रुपये मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 11.08.2016 को आयोजित क्रीड़ा समिति की बैठक में केवल सत्र 2013-14 एवं वर्तमान सत्र 2016-17 हेतु सिले हुये ब्लेजर/ट्रेकसूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. यहां उल्लेखनीय है कि निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में ट्रेकसूट/ब्लेजर के मांगपत्र अनुसार कुल 247 खिलाड़ियों को ट्रेकसूट एवं 240 खिलाड़ियों को ब्लेजर दिया जाना है। वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या 450 बतलायी गयी है। निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2016-17 हेतु 450 ट्रेकसूट एवं 300 ब्लेजर का क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3. अतः शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु निम्नानुसार ट्रेकसूट एवं ब्लेजर का क्रय पूर्व की अनुमोदित दर पर अनुमोदित फर्म (ट्रेकसूट हेतु नार्थ मालवा स्पोर्ट्स, उज्जैन एवं ब्लेजर हेतु इन्दौर बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर) किया जाना प्रस्तावित है :-

वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 हेतु	संख्या	दर	कुल राशि
1. ट्रेकसूट	697	431	300407/-
2. ब्लेजर	540	1080	583200/-
कुल योग			883607/-

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु क्रय किये जाने वाले ट्रेकसूट एवं ब्लेजर के क्रय पर होने वाला अनुमानित व्यय रुपये 883607/- का है, यह व्यय वर्ष 2016-17 के आयोजनेत्तर बजट मद 8(10) ब्लेजर एवं क्रेस्ट (क्रीड़ा एवं विद्यार्थी कल्याण विभाग सहित) में प्रावधानित राशि रुपये 18.00 लाख से विकलनीय होगा, अतः होने वाले अनुमानित व्यय रुपये 883607/- की प्रशासकीय स्वीकृति कार्यपरिषद् से लिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न खेल दलों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों हेतु ब्लेजर/ट्रेकसूट के क्रय रुपये 883607/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-वि.क.वि./शा.शिक्षा/भंडार/लेखा विभाग)भंडार

विषय क्र. 10. शासन के आदेशानुसार शा.कालिदास कन्या महाविद्यालय,उज्जैन का नाम परिवर्तित कर शा. कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन किया गया एतद् सूचनार्थ। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 11. शासन के आदेशानुसार शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,नीमच का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,नीमच किया गया एतद् सूचनार्थ। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 12. एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण के क्रय करने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसओईटी की स्थापना वर्ष 2011 में हुयी है, लेकिन एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कई आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1.	मेकेनिकल प्रयोगशाला	रुपये 1470324 /--
2.	सिविल प्रयोगशाला	रुपये 1466917 /--
3.	इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला	रुपये 1017154 /--
4.	इलेक्ट्रानिक्स प्रयोगशाला	रुपये 1335700 /--
	कुल योग	रुपये 5290095 /--

2. यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2013 एवं पुनः कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.08.2014 में उपकरण क्रय करने के प्रस्ताव को मान्य किया गया था, लेकिन पूर्व में उपकरणों का क्रय नहीं किया जा सका।

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रयोगशाला में लगने वाले आवश्यक उपकरणों के क्रय की अनुशंसा विभागीय समिति द्वारा की गयी है तथा एसओईटी के विभागीय बजट मद 56(41)(3)6 उपकरणों हेतु राशि रुपये 57.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

4. अतः एसओईटी के विभिन्न प्रयोगशालाओं हेतु नियमानुसार रुपये 5290095 /-- के उपकरणों का क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशाला हेतु नियमानुसार रुपये 5290095 /-- के उपकरणों के क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-भंडार/लेखा/एस.ओ.ई.टी. विभाग)

विषय क्र. 13.

अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 2016 में होने वाले व्यय रुपये 7.85 लाख की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति देने बाबत।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 2016 का आयोजन दिनांक 10.11.2016 से 16.11.2016 तक किया जाना है। इस समारोह हेतु विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर मद में रुपये 6.50 लाख का प्रावधान किया गया है। इस समारोह के आयोजन के लिये म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा भी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष रुपये 2.50 लाख का अनुदान भी स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2016-17 हेतु अभी यह अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण संभावना है कि यह अनुदान राशि विश्वविद्यालय को शीघ्र ही प्राप्त हो जावेगी।

2. इस समारोह के सुचारु रूप से आयोजन के लिये निम्नलिखित मदों में अनुमानित व्यय होगा :-

1.	संस्थापन	35000/-
2.	आवास एवं भोजन	300000/-
3.	यात्रा एवं मानदेय व्यय	100000/-
4.	यातायात एवं वाहन आदि व्यय	20000/-
5.	स्टेशनरी एवं मुद्रण पर व्यय	30000/-
6.	फर्नीचर एवं उपकरण पर व्यय	45000/-
7.	विशेषांक प्रकाशन एवं मेडल पर व्यय	40000/-
8.	विक्रम कालिदास पुरस्कार पर व्यय	25000/-
9.	छात्रीय प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार पर व्यय	50000/-
10.	पोस्टेज	20000/-
11.	आकस्मिक	20000/-
12.	अन्य विविध व्यय	60000/-
13.	मंच, हार, फूल, लाइट, माईक, फोटो एवं आयोजन स्थान व्यवस्था	40000/-
कुल योग		7,85,000/-

3. चूंकि समारोह का आयोजन दिनांक 10.11.2016 से 16.11.2016 तक होना है, अतः राशि रुपये 6.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति माननीय कुलपतिजी से प्राप्त कर राशि रुपये 3.00 लाख का अग्रिम सचिव, कालिदास समिति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को स्वीकृत किया गया है, ताकि समारोह का आयोजन सुचारु रूप से हो सकें।

4. अतः अखिल भारतीय कालिदा समारोह, 2016 के आयोजन हेतु प्रस्तावित अनुमानित व्यय 6.85 लाख की कार्यान्वयन प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 2016 के आयोजन पर हुये व्यय रूपये 7.85 लाख की कार्यान्वयन प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 14. इतिहास विषय में डॉ.गुलनाज़ तंवर को डि.लिट. उपाधि प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन-गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 15. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए संविदा/अतिथि विद्वानों को अकादमिक कार्य सम्पादित करने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में एतद् सूचनार्थ।

टीप :- शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं एवं संस्थानों में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार संविदा/अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा अनुशंसित अतिथि विद्वानों को अकादमिक कार्य संपादित करने हेतु आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जारी आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2016/1428, दिनांक 15.09.016, क्रमांक 1551, दिनांक 03.10.016, एवं क्रमांक/1549, दिनांक 03.10.016, कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र. 16. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क संबंध में हुयी टंकण त्रुटी में सुधार करने पर विचार।

टीप :- उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 08.03.2016 को आयोजित परीक्षा एवं अन्य शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में संचालित विभिन्न अध्ययनशालाओं, शैक्षणिक विभागों एवं संस्थाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, शोध पाठ्यक्रमों, एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये नवीन शुल्क संरचना जो अकादमिक सत्र 2015-16 से लागू होनी थी, को लागू करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.16 एवं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.03.16 की अनुशंसाओं को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.03.16 में दिये गये अनुमोदन उपरांत अधिसूचना क्र./1212, दिनांक 06.04.16 के द्वारा प्रसारित की गयी।

2. यहां उल्लेखनीय है कि नवीन शुल्क संरचना अन्तर्गत तैयार किये गये परीक्षा शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'अ') में कम्प्यूटर टंकण त्रुटि होने से उनमें सुधार किया जाना अति-आवश्यक है। इसी प्रकार स्टूडेंट सर्विस शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'ब') के सरल क्र.-01 में दर्शायी विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस प्रति सेमेस्टर रुपये 95/- को विलोपित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पूर्व वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस में वृद्धि करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है तथा विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त रेमिडियल क्लास की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जा रही है, अतः समिति की द्वितीय आयोजित बैठक दिनांक 07.11.16 में समिति द्वारा पूर्व में जारी नवीन शुल्क संरचना संबंधी परीक्षा शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'अ') का पुनः विस्तृत रूप से अवलोकन कर, कुल 23 कम्प्यूटर टंकण त्रुटियां सुधार करने की अनुशंसा की गयी तथा पत्रक में सुधार कर पुनः संशोधित परीक्षा शुल्क संरचना संबंधी पत्रक तैयार किया गया। इसी प्रकार विद्यार्थी सर्विस शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'ब') के सरल क्र.-01 में दर्शित विद्यार्थी फीस को विलोपित करने की भी अनुशंसा समिति द्वारा की गयी तथा तदनुसार पत्रक के योग में भी परिवर्तन को मान्य किया गया।

3. विश्वविद्यालय में अध्यापन वर्ष 2016-17 की विभिन्न सेमेस्टर्स की परीक्षाये माह नवम्बर, 2016 के अंत तक प्रारम्भ होना है, अतः संशोधित परीक्षा शुल्क संबंधी पत्रक को ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है, ताकि छात्र-छात्राएँ अपनी परीक्षा शुल्क निर्धारित समय पर संशोधित परीक्षा शुल्क संबंधी पत्रक में दर्शाये शुल्क अनुसार जमा कर सकें, अतः समिति द्वारा संशोधित परीक्षा शुल्क संरचना संबंधी पत्रक (परिशिष्ट 'अ') एवं विद्यार्थी सर्विस शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'ब') अनुसार ऑनलाईन जानकारी अपलोडिंग करने की अनुशंसा इस शर्त के साथ करती है कि आगामी कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.11.2016 में इन दोनों संशोधित पत्रकों का कार्योत्तर अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।

4. अतः परीक्षा एवं अन्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नवीन शुल्क संरचना संबंधी संशोधितपत्रक (परिशिष्ट 'ब' एवं 'ब') के कार्यान्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क संबंध में हुयी टंकण त्रुटी में सुधार का प्रस्ताव मान्य किया गया। साथ ही उक्त प्रस्ताव समन्वय समिति की स्थाई समिति की ओर सूचनार्थ भेजे।

(क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्र. 17.

सत्र 2016-17 के लिए रासेयो विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधि हेतु रासेयो युक्त संस्थाओं को रुपये 43,62,600/- के अग्रिम की प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. /287/रासेयो/16/38, भोपाल दिनांक 19-10-2016 के अनुसार सत्र 2016-17 में विक्रम परिक्षेत्र के 77 महाविद्यालयों में 90 रासेयो इकाई में 8950 छात्रसंख्या एवं 137 विद्यालयों में 147 रासेयो इकाई में 13650 छात्रसंख्या का आवंटन किया गया है। इस प्रकार कुल 237 इकाईयों में 22600 छात्रसंख्या का आवंटन किया गया है।

2. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संलग्न वित्तीय ब्यौरा पत्र क्र. 465 दिनांक 13 सितम्बर 2011 एवं 439 दिनांक 18.09.2015 के अनुसार प्रत्येक इकाई हेतु आवंटित छात्रसंख्या की आधी छात्रसंख्या विशेष शिविर हेतु मान्य होती है तथा प्रतिछात्र 450/- रुपये 07 दिवस के विशेष शिविर हेतु स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संलग्न वित्तीय ब्यौरा पत्र क्र./465 दिनांक 13 सितम्बर 2011 एवं क्र./439 दिनांक 18.09.2015 के अनुसार महाविद्यालय/विद्यालय को प्रति रासेयो स्वयंसेवक राशि 86.50 (छियासी रुपये पचास पैसे) निम्नानुसार देय हैं :-

1. स्वल्पाहार	रुपये 70.00
2. स्टोर मरम्मत	रुपये 3.00
3. अंशकालिक कार्यालयीन सहायता	रुपये 5.00
कुल योग	रुपये 86.50

3. उक्त राशि प्रति स्वयंसेवक की दर से आवंटित छात्र संख्या 100 की इकाई को रुपये 8650/- एवं एक ही संस्था में एक से अधिक रासेयो इकाई होने पर 100 छात्रसंख्या की द्वितीय इकाई को राशि 8450/- एवं 100 छात्रसंख्या की तृतीय इकाई को राशि 8350/- एवं 50 छात्र संख्या की इकाई को राशि 4325/- दी जाना है।

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि पांच जिलों के जिला संगठक को इकाई निरीक्षण एवं विशेष शिविर निरीक्षण हेतु यात्रा के लिए 3,000/- प्रति जिला संगठक की दर से पांच जिला संगठक के प्राचार्य को ई-पैमेंट द्वारा कुल 15,000/- रुपये अग्रिम दिये जाना है।

5. अतः सत्र 2016-17 में विक्रम परिक्षेत्र के महाविद्यालयों एवं ओपन यूनिट में स्थापित रासेयो इकाई को 17,32,500/- रुपये एवं विद्यालयों में स्थापित रासेयो इकाई को 17,77,500 रुपये कुल 17,32,500+17,77,500=35,10,000/- (पैंतीस लाख दस हजार मात्र) को अग्रिम दिये जाने तथा नियमित गतिविधि हेतु सत्र 2016-17 में विक्रम परिक्षेत्र के महाविद्यालयों, विद्यालयों, ओपन यूनिट एवं 05 जिला संगठकों के प्राचार्य को ई-पैमेंट द्वारा

3,67,8004,84,800त्र8,52,600 (आठ लाख बावन हजार छः सौ मात्र) इस प्रकार कुल राशि रूपये 43,62,600/- रासेयो विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधि मद से अग्रिम प्रदाय किए जाने की प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार सत्र 2016-17 के लिये रासेयो विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधि हेतु रासेयो युक्त संस्थाओं को रूपये 4362600/- के अग्रिम की प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-एनएसएस/लेखा विभाग)

विषय क्र. 18.

विश्वविद्यालय में गोपनीय एवं परीक्षा विभाग के कार्यो को अतिरिक्त समय/अवकाश के दिनों में लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्पादित करने पर पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.07 के पद क्र.-24 में लिये गये निर्णयानुसार गोपनीय एवं परीक्षा विभाग में कार्यरत/संयोजित शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है :-

1. मुख्य समन्वयक को रूपये 165/- के स्थान पर रूपये 250/- प्रतिदिन
 2. समन्वयक को रूपये 140/- के स्थान पर रूपये 200/- प्रतिदिन
 3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव को रूपये 100/- के स्थान पर रूपये 150/- प्रतिदिन
 4. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को रूपये 115/- प्रतिदिन
 5. तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रूपये 60/- के स्थान पर रूपये 75/- प्रतिदिन
 6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रूपये 45/- के स्थान पर रूपये 60/- प्रतिदिन
2. तत्पश्चात् माननीय कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.09 के पद क्र./13 में लिये गये निर्णयानुसार रूपये 75/- एवं 60/- प्रतिदिन के मान से भुगतान किया जा रहा है।
3. यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षों से लेखा विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के उपरांत एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आकर गोपनीय एवं परीक्षा कार्य से संबंधित नस्तियों का समय पर निराकरण किया जा रहा है तथा लेखा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गोपनीय/परीक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति रूपये 115/- तथा 75/- एवं 60/- प्रतिदिन के मान से पारिश्रमिक का भुगतान हो रहा है, इसी प्रकार लेखा विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो बजट कार्य में संलग्न रहकर, बजट तैयार करने का कार्य सम्पादित करते हैं, को नियमित तृतीय श्रेणी को रूपये 75/- (रूपये 50/- कुशल श्रेणी कर्मचारियों को) एवं नियमित चतुर्थ श्रेणी को रूपये 60/- (रूपये 40/- अकुशल श्रेणी कर्मचारियों को) प्रतिदिन के मान से अधिकतम दो माह के लिये बजट भत्ते के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, अतः लेखा विभाग के छः तृतीय एवं दो चतुर्थ श्रेणी इस प्रकार कुल आठ कर्मचारियों को किये जा रहे पारिश्रमिक भुगतान एवं उक्त बताये अनुसार बजट कार्य सम्पादित करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को

अधिकतम दो माह के बजट भत्ते की स्वीकृति कार्यपरिषद् से लिये जाने के लिये प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में गोपनीय/परीक्षा विभाग के कार्यों को अतिरिक्त समय एवं अवकाश के दिनों में लेखा विभाग के कुल 08 कर्मचारियों (06 तृतीय एवं 02 चतुर्थ श्रेणी) द्वारा सम्पादित करने पर प्रतिमाह देय निर्धारित पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव अनुसार बजट कार्य सम्पादित करने वाले तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अधिकतम दो माह के बजट भत्ते (निर्धारित पारिश्रमिक अनुसार) स्वीकृति करने की अनुमति दी जाती है।

(क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्र. 19.

राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की संशोधित दरों को विश्वविद्यालय में मान्य करने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य शासन के पत्र क्रं. /एफ-4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 05.11.2016 द्वारा राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों एवं देय भत्तों की दरों में संशोधन कर नवीन दरें जारी आदेश दिनांक

01.11.2016 या उसके पश्चात् की गयी यात्राओं पर लागू होगी।

2. यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में म.प्र. यात्रा भत्ता नियम लागू है, अतः राज्य शासन द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 01.11.2016 या उसके पश्चात् की गयी यात्राओं पर विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के लिये प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। कार्यपरिषद् से प्रस्ताव मान्य होने पर प्रस्ताव समन्वय समिति के समक्ष विचारार्थ भेजा जावेगा। समन्वय समिति से मान्य होने पर यह लाभ विश्वविद्यालय में मान्य किया जावेगा।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि राज्य शासन पत्र क्रमांक/एफ-4-2/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 05.11.2016 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की संशोधित दरों को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 20.

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठवे वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान किये जाने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य शासन के आदेश क्रं./एफ-1/10/2016/38-3 भोपाल, दिनांक 16.11.2016 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक, अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तृतीय किस्त का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जारी आदेश में यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को तृतीय किस्त का भुगतान की गयी राशि का प्रमाण-पत्र वचन-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30.11.2016 तक अनिवार्य रूप से संचालक, उच्चशिक्षा को उपलब्ध करायेंगे, जिससे भुगतान की गयी राशि की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा सकें।

2. यहाँ उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्व में दो किशतों में 66 प्रतिशत छठवे वेतनमान की एरियर राशि रुपये 5,19,31,175/- का भुगतान किया जा चुका है। विश्वविद्यालय को राज्य शासन से आज दिनांक तक छठवे वेतनमान के एरियर राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में राशि रुपये 4,26,93,000/- प्राप्त हो चुके हैं। शेष राशि रुपये 2,13,45,653/- विश्वविद्यालय को भेजने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र क्र. /लेखा/2016/159, दिनांक 26.07.16 एवं पत्र क्र./लेखा/2016/294, दिनांक 08.09.2016 से राज्य शासन को अनुरोध किया गया है।

3. चूंकि राज्य शासन के उक्त आदेशानुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तृतीय किशत की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये जा चुके हैं, अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठवे वेतनमान के एरियर की तृतीय किशत की शेष 34 प्रतिशत राशि के भुगतान करने की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के आदेश क्र./एफ-1/10/2016/38-3 भोपाल दिनांक 16.11.2016 द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तृतीय किशत के भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठवे वेतनमान के एरियर की तृतीय किशत की शेष 34 प्रतिशत राशि के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 21.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में डब्ल्यूपी/1153/2005 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा न्यायाधीकरण का गठन किये पर विचार।

टीप :-भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.1980 के परिपालन में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/विकास/81/8325-27,दिनांक 17.02.1981 के द्वारा तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। परन्तु किसी कारणवश कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ,इंदौर द्वारा न्यायाधीकरण का पुर्नगठन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है एवं यह गठन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2016 से तीस (30) दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना है। ट्रिब्यूनल के गठन हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जाये सदस्य निम्नानुसार रहेंगे :-

- 1 श्रीशशिमोहन श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश उज्जैन
- 2 श्री लालसिंह भाटी, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर
- 3 श्री एस. एन. द्विवेदी, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश, भोपाल (9425127855)

प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश (विधिक सलाहकार, विश्वविद्यालय) एवं डॉ. डी. के. बग्गा रहेंगे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

बैठक की पूरक कार्यसूची

विषय क्र.01. विश्वविद्यालय की वर्ष 2016-17 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2016-17 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु गठित समिति के प्रस्ताव को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-गोपनीय विभाग)

विषय क्र.02. विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को रुपये 8,87,890/- के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

टीप :- उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2016-17 में विश्वविद्यालय में प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन म.प्र. माध्यम, भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में छपवाया गया था। म.प्र. माध्यम, भोपाल से निम्नानुसार दो देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुये हैं :-

1. देयक क्र./83668, दिनांक 15.09.2016 रुपये 783317/-

2. देयक क्र./84381, दिनांक 21.10.2016 रुपये 104573/-

कुल योग

रुपये 887890/-

2. अतः म.प्र. माध्यम, भोपाल को रुपये 887890/- के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल के देयक क्र./83668 दिनांक 15.09.2016 तथा क्र./84381 दिनांक 21.10.2016 की कुल राशि रुपये 887890/- के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्र.03. विश्वविद्यालय में क्रय किये गये माइक्रोसाफ्ट साफ्टवेयर लाईसेंस राशि रुपये 6,24,226/-के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में क्रय किये गये माइक्रो साफ्ट लाईसेंस की राशि रुपये 624226/- के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्र.04. दिनांक 26.09.2016 एवं 24.11.2016 को आयोजित भवन समिति के कार्य-विवरण पर विचार।
(कार्यविवरण संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि दिनांक 26.09.2016 एवं 24.11.2016 को आयोजित भवन समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाता है।

(क्रियान्वयन-यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.05. डॉ. रामेश्वर सोनी, उपाचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला के संवैतनिक अवकाश स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि डॉ. रामेश्वर सोनी, उपाचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला के संवैतनिक अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्र.01. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.02. शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के पालन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन करते हुये प्रस्ताव को मान्य किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इसे उदाहरण ना माना जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.03. डॉ.पी.के.वर्मा, आचार्य, भौमिकी अध्ययनशाला के दिनांक 24.08.016 से दिनांक 28.10.016 तक (दो माह चार दिन) के अतिरिक्त स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि डॉ.पी.के.वर्मा, आचार्य, भौमिकी अध्ययनशाला के दिनांक 24.08.016 से दिनांक 28.10.016 तक (दो माह चार दिन) के अतिरिक्त स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति विश्वविद्यालय अधिनियमों का पालन करते हुए प्रस्ताव मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.04. डीएमसी इर्मजडाटा सर्विस नागपुर से प्राप्त पत्र EMD/2016ध11ध54एदिनांक 22/11/16 विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम संबंधी कार्य करने हेतु प्रस्ताव दिया है जो केवल नवम्बर-दिसम्बर 2016 तक मान्य रहेगा पर विचार।

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुख्य प्रस्ताव क्रं. 05 पर लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन-परीक्षा/गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.05. विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आरटीडी लेब स्थापित करने हेतु व्यय रुपये 10.00 लॉख की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने पर विचार।

टीप :-उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध थीसिस को इन्फलीबनेट की शोध गंगा योजना के अन्तर्गत डिजीटल फार्म में परिवर्तित किया जाना है, इस हेतु आरटीडी लेब की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। यह कार्य करवाना विश्वविद्यालय के लिये यूजीसी मापदण्डों को पूर्ण करने हेतु अति-आवश्यक है। इस लेब के स्थापित होने पर छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये कार्य राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी होंगे। इस लेब के स्थापित होने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति इन्फलीबनेट से होगी। लेब स्थापित करने पर निम्नलिखित उपकरणों का नियमानुसार क्रय किया जाना आवश्यक होगा :-

क्रं.	उपकरण का नाम	संख्या	अनुमानित राशि
1.	डेस्कटॉप कम्प्यूटर	05 नग	1,50,000/-
2.	लेपटॉप कम्प्यूटर	01 नग	40,000/-
3.	सर्वर	01 नग	1,50,000/-
4.	हेवीड्यूटी फोटोकापी मशीन	01 नग	4,50,000/-
5.	ऑनलाईन यूपीएस	02 नग	1,75,000/-
6.	लेन सेटप	-	35,000/-
	कुल योग		10,00,000/-

2. अतः उक्त बताये अनुसार राशि रुपये 10.00 लाख के उपकरण नियमानुसार क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आरटीडी लेब स्थापित करने के लिये नियमानुसार आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु होने वाले व्यय रुपये 10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-पुस्तकालय/विकास विभाग)

विषय क्र.06.

विश्वविद्यालय में रूसी कम्पोनेट-03 (विश्वविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान)के अन्तर्गत लेब उपकरणों तथा पुस्तकों/जर्नलस/ई-रिसोर्स आदि तथा अन्य मदों में नवीन सुविधा एवं उपकरणों के क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार।

टीप :- उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में रूसी कम्पोनेट-03 (विश्वविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान) के अन्तर्गत लेब उपकरणों तथा पुस्तकों/जर्नलस/ई-रिसोर्स हेतु क्रमशः रुपये 200.00 लाख एवं 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है। यद्यपि अभी विश्वविद्यालय को रूसी कम्पोनेट-03 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि प्राप्त नहीं हुयी है, लेकिन इस बात की पूर्ण संभावना है कि विश्वविद्यालय को रूसी कम्पोनेट-03 के तहत रुपये 20.00 करोड़ प्राप्त हो सकते हैं, अतः प्रारम्भिक तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुये रूसी कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने हेतु गठित समिति की आयोजित बैठक दिनांक 02.12.2016 में समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि लेब उपकरणों हेतु कुल 22 अध्ययनशालाओं से प्राप्त उपकरणों की सूची तथा पुस्तकों हेतु कुल 10 अध्ययनशालाओं से प्राप्त पुस्तकों की सूची अनुसार उपकरणों/पुस्तकों को नियमानुसार क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति आगामी कार्यपरिषद् से ली जावे। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी है कि लेब उपकरणों/पुस्तकों के मद में रूसी कम्पोनेट-03 के अन्तर्गत राशि प्राप्त होने पर, प्राप्त राशि अनुसार तकनीकी समिति एवं पुस्तकालय समिति द्वारा क्रमशः आवश्यक लेब उपकरणों तथा विभागाध्यक्षों की मांग अनुसार आवश्यक पुस्तकों की सूची को अंतिम रूप देते हुये नियमानुसार क्रय करने की कार्यवाही की जावे।

2. गठित समिति का यह भी मानना है कि रूसी कम्पोनेट-03 में निम्नलिखित मदों में प्रावधानित बजट की स्थिति इस प्रकार है :-

1. लाइब्रेरी रुपये 50.00लाख Development of New Facility & Purchase of Equipments
2. कम्प्यूटर सेंटर/ई.सी. रुपये 50.00 लाख- उपरोक्तानुसार -
3. स्पोर्ट फेसिलिटीज रुपये 50.00 लाख- उपरोक्तानुसार -

समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार इन तीनों मदों में प्रावधानित बजट राशि तक के व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति कार्यपरिषद् से ली जावे।

3. अतः उक्त बताये प्रस्ताव अनुसार लेब उपकरणों हेतु कुल 22 अध्ययनशालाओं से प्राप्त उपकरणों की सूची तथा पुस्तकों हेतु कुल 10 अध्ययनशालाओं से प्राप्त पुस्तकों की सूची अनुसार प्राप्त राशि की सीमा तक तकनीकी समिति एवं पुस्तकालय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत ही उपकरणों/पुस्तकों को नियमानुसार क्रय करने की तथा तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार बिन्दु क्रं.-02 में दर्शाये विभिन्न मदों में प्रावधानित बजट तक व्यय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में रूसी कम्पोनेट-03 (विश्वविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान) के अंतर्गत लेब उपकरणों तथा पुस्तकों/जर्नलस/ई-रिसोर्स आदि तथा अन्य मदों में नवीन सुविधा एवं उपकरणों के नियमानुसार क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है

(क्रियान्वयन-रूसी सेल विभाग)

विषय क्र.07. विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजि. एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ व्हीकल शेड का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

टीप :- विक्रमविश्वविद्यालय परिसर स्थित स्कूल आफ इंजि.एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र- छात्राओं की समस्या को दर्शाते हुए विभागीय अनुशंसानुसार भवन के सामने वाहनों हेतु व्हीकल शेड का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु अनुमोदित व्यय रू. 13.00 लाख होगा।

अतः स्कूल ऑफ इंजि.एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र-छात्राओं के वाहनों हेतु व्हीकल शेड के निर्माण हेतु राशी रू. 13.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि स्कूल ऑफ इंजि.एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र-छात्राओं के वाहनों हेतु व्हीकल स्टैंड के निर्माण हेतु राशी रू. 13.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन-विकास/लेखा/यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.08. श्री क्षमाशील मिश्रा की नियुक्ति पर विचार।

टीप:- सम्माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा लाया गया प्रस्ताव।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में विधिक राय सहित विस्तृत चर्चा एवं दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्र.09. प्रबंध संकाय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रस्ताव माननीय मनोनित सदस्यों के द्वारा उठाया गया, पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि प्रबंध संकाय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के परिणाम से संबंधित सभी आपत्ति एवं अन्य पहलुओं की संपूर्ण जांच हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1	डॉ. एच. पी. सिंह	-आचार्य, सांख्यिकी
2	डॉ. एम. एस. परिहार	-आचार्य, प्राणिकी
3	डॉ. एच. एस. राठौर	-संकायाध्यक्ष

उपरोक्त समिति 10 से 15 दिवस में अपना प्रतिवेदन माननीय कुलपतिजी को प्रस्तुत करेगी।

(क्रियान्वयन-प्रशासन/गोपनीय विभाग)

विषय क्र.10. स्कूल ऑफ इंजि. एण्ड टेक्नोलाजी के सुचारु संचालन हेतु तथा छात्र/छात्राओं के लिये नवीन छात्रावासों का निर्माण एवं आडिटोरियम का निर्माण करने पर विचार।


निर्णय :- निर्णय लिया गया कि स्कूल ऑफ इंजि. एण्ड टेक्नोलाजी के सुचारु संचालन हेतु तथा छात्र/छात्राओं के लिये नवीन छात्रावासों का निर्माण एवं आडिटोरियम का निर्माण हेतु नियमानुसार म.प्र. शासन या भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(क्रियान्वयन-विकास/यांत्रिकी/लेखा विभाग)


बैठक के अंत में सम्माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा माँ शारदा महाविद्यालय, श्यामगढ़ मंदसौर को बगैर संबद्धता शुल्क लिये तीन वर्षों तक छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में समिति गठित कर आगामी बैठक में संपूर्ण प्रकरण को रखे जाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को समिति गठित कर कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया।

माननीय कुलपतिजी द्वारा निर्देश दिया कि कार्यपरिषद की बैठक का पालन प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाये।

बैठक की समाप्ति के पूर्व मध्यप्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल स्व. श्री रामनरेश यादव जी के निधन पर सदन द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर उनके प्रति संवेदनाएँ एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तदुपरान्त अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति



कुलसचिव